न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता(आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 45/2021

उनवान

भागचन्द पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राह्मण (जोशी) निवासी ग्राम तिहारी उप तहसील श्रीनगर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री ज्वाला प्रसाद मेहरा

बनाम

राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

दिनांक :— 15-9-21

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया है कि ग्राम तिहारी के साबिक खसरा नम्बर 405, 406, 410 की आराजी उसकी पुश्तैनी है। उक्त सम्पत्ति प्रार्थी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। पूर्व जमाबंदी के खाता संख्या 481/420 की आराजी पर प्रार्थी का नाम भागचन्द पुत्र श्रवणलाल जाति ब्राह्मण अंकित किया है। किन्तु हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट अंकित कर दी है। अतः आराजी मुतनाजा में प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर ब्राह्मण अंकित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी की वर्किंग जमाबंदी में खाता संख्या 507 के खसरा नम्बर 405, 406, 410 में रामदयाल, श्रवण, रामकिशन, पि0 अम्बालाल जाति ब्राह्मण अंकित है। तथा नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 25.05.2002 द्वारा हजारी, उगमा, पुष्करमल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण के स्थान पर विक्रय से क्रेता छोटू, मिट्टु, किशनगोपाल पुत्र हरलाल जाति जाट का नोट दर्ज है। हाल जमाबंदी में छोटू, मिट्टु, किशनगोपाल पुत्र हरलाल जाति जाट दर्ज है। साथ ही रामदयाल, श्रवण, रामकिशन पुत्र श्रवण की जाति भी जाट दर्ज है। ग्राम तिहारी की हाल जमाबंदी में खाता संख्या 390 में श्रवण की विरासत खुलने से प्रार्थी भागचन्द पुत्र श्रवण की जाति जाट दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वर्किंग जमाबन्दी में खसरा नम्बर 405, 406, 410 में रामदयाल, श्रवण, रामकिशन, पि0 अम्बालाल जाति ब्राह्मण अंकित है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर में प्रार्थी की जाति जाट अंकित कर दी जबकि पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार प्रार्थी की जाति ब्राह्मण ही अंकित करनी थी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज बिना किसी नामान्तरकरण/आदेश के किया गया है। भू प्रबंध विभाग को हाल राजस्व अभिलेख से पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था जो उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। अप्रार्थी नें अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन नही किया है। अतः वर्तमान इन्द्राज दुरूस्त योग्य है।

अतः ग्राम तिहारी के खाता संख्या 390/326 किता 18 रकबा 23.02 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर ब्राह्मण अंकित की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार [illegible] करावें पक्षकार खर्च स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक 15-9-21 को [illegible] गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner